



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)

संभागीय कार्यालय, आई.आई.टी. कैंपस, पवई, मुंबई 400076

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

(Under Min. of Education, Govt. of India)

Regional Office: IIT Campus, Powai, Mumbai-400076.

दूरभाष/Tel. (022) 2572 8060/2328/6763/1614/0717 (EAPBX)

ई-मेल/E-mail : kvsmumbairegion@gmail.com

WEBSITE : <https://romumbai.kvs.gov.in>

F.N.27331/KVS RO Mum/22-23

दिनांक: 07-09-2022

ईमेल द्वारा

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय (सूची अनुसार)
मुंबई संभाग

विषय:- विभिन्न कक्षाओं में अभिभावकों के स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति/गृहस्थान में बदलाव के आधार पर विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुमति के लिए **पुनर्विचार** के आवेदनों के संबंध में

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अभिभावकों के स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति/गृहस्थान में बदलाव के आधार पर निम्नवत विद्यार्थियों को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश की अनुमति के लिए **पुनर्विचार** के आवेदनों पर अवलोकन के पश्चात् प्रवेश हेतु टिप्पणी/अनुमति निम्नलिखित है। इस आलोक में संबंधित अभिभावकों को जानकारी प्रदान करना सुनिश्चित करें। **केविसं प्रवेश दिशानिर्देश 2022-23 (संशोधित)** के अनुसार कृपया प्रवेश देने से पूर्व सभी दस्तावेजों का अच्छी तरह निरीक्षण करने के पश्चात् ही प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करें।

क्र. सं.	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	विद्यालय से	विद्यालय को	टिप्पणी
1	ARHAAN WAJID AHMED SHAIKH	I	KV NO.1 AHMEDNAGAR	KV ARMY AREA PUNE	Permitted
2	VEDIKA MANGESH BADGUJAR	VI	KV BURHANPUR	KV AURANGABAD Shift-II	Permitted
3	CHOURE DURVA DATTATRAY	III	KV NO.1 DEHU ROAD	KV ONGC PANVEL	Permitted
4	ADITYA MEENA	II	KV DWARKA	KV OF AMBARNATH SHIFT-I	No Change (Already permitted in Shift-II)
5	PRIYANSHU YADAV	III	KV BADAUN UP	KV NRC NASIK	Permitted
6	VIDHI SAINI	III	KV AFS WADSAS	KV ONGC PANVEL	Permitted
7	SHRAVANI SACHIN SATPUTE	VII	KV HAVERI	KV ISP NASIK	Permitted


8	ADITYA RAJ	VI	ARMY PUBLIC SCHOOL DANAPUR CANTT	KV BAMBOLIM CAMP	Permitted
9	SAKSHI KUMARI	V	ARMY PUBLIC SCHOOL DANAPUR CANTT	KV BAMBOLIM CAMP	Permitted

नोट:- छात्र की TC (issued by Defense Ministry/Depts/Authority) का Endorsement इस कार्यालय द्वारा होने के उपरांत एवं केविसं प्रवेश दिशानिर्देश 2022-23 (संशोधित) के भाग - बी विशेष प्रावधान बिंदु सं-2 से संबंधित प्रमाणपत्र इस कार्यालय को प्रेषित करने के उपरांत ही प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करें।

यदि विद्यार्थी को आवेदित विद्यालय के स्थान पर दूसरे विद्यालय में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है तो आवेदित विद्यालय के प्राचार्य उस विद्यार्थी का विवरण आवंटित विद्यालय के प्राचार्य को एवं इसकी सूचना संबंधित आवेदक को प्रदान करना सुनिश्चित करें।

यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय


(स.व. जोगलेकर)
सहायक आयुक्त